

मद 1: यूनिफ़ॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में संशोधन

- (ए) वाणिज्यिक ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप में 'फैक्स नंबर' फ़ील्ड को 'ईमेल आईडी' में बदल दिया जाएगा।
 (बी) एमएफआई ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप के तहत फ़ील्ड 'डमी' को 'ईमेल आईडी' में बदल दिया जाएगा।
 (सी) उक्त फ़ील्ड को 'जब उपलब्ध हो' के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

सारणी 1: 31 मार्च _____ को समाप्त वर्ष के दौरान सीआईसी के पास पंजीकृत शिकायतें

वित्त वर्ष	क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या ए = बी+डी	क्रेडिट संस्थान (सीआई) स्तर पर मुद्दों से संबंधित शिकायतें		सीआईसी में मुद्दों से संबंधित शिकायतें	
		प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (बी)	टीएटी के अंतर्गत अनिर्णीत शिकायतों की संख्या (सी)	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (डी)	टीएटी के अंतर्गत अनिर्णीत शिकायतों की संख्या (ई)

दृष्टव्य – निर्देश नियामक के जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से लागू होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा सीआईसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सीआईसी उपरोक्त प्रदर्शित अवधि से पहले, पिछले दो (2) वित्तीय वर्षों का पुराना डेटा प्रदान करने के लिए डाउनलोड लिंक/विकल्प प्रदान करेगा।

सारणी 2: 31 मार्च _____ को समाप्त वर्ष के दौरान सीआईसी के पास सीआई के विरुद्ध दर्ज शिकायतें

सं. क्र.	सीआई का नाम (ए)	वर्ष के दौरान सीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड की संख्या (बी)	वर्ष के दौरान सीआई के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की कुल संख्या (सी)	सीआई द्वारा प्रस्तुत कुल रिकॉर्ड के प्रतिशत के रूप में शिकायतें (डी) [सी, बी के % के रूप में]	संदर्भ तिथि के अनुसार सीआई द्वारा टीएटी के भीतर अनिर्णीत शिकायतों की संख्या (ई)	सीआई के खिलाफ दर्ज कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में टीएटी के भीतर अनिर्णीत शिकायतें (एफ) [ई, सी के % के रूप में]
1	सीआई - 1					
2	सीआई - 2					
3					

दृष्टव्य – निर्देश नियामक के जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से लागू होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा सीआईसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सीआईसी उपरोक्त प्रदर्शित अवधि से पहले, पिछले दो (2) वित्तीय वर्षों से संबंधित पुराना डेटा प्रदान करने के लिए डाउनलोड लिंक/विकल्प प्रदान करेगा।

सीआईसी उपयोगकर्ता को (i) प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (ii) सीआई द्वारा प्रस्तुत कुल रिकॉर्ड के प्रतिशत के रूप में दर्ज की गई शिकायतें; और (iii) संबंधित सीआई के विरुद्ध पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में सीआईसीआरए, 2005 के अनुसार निर्धारित टीएटी के भीतर अनिर्णीत शिकायतों के आधार पर शीर्ष दस सीआई चुनने का विकल्प प्रदान करेगा।